UPBJ010070822022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–प्रकाश चन्द्र शुक्ला, (एच0जे0एस0)–U.P.1625

सिविल निगरानी संख्या–127/2022

1– कमेटी कब्रिस्तान मौ. मुगलूशाह, निकट कोटद्वार रोड, कस्बा नजीबाबाद, जिला बिजनौर द्वारा मुन्तजिम सेक्रेटरी जमीर अहमद पुत्र मौ. हसन, निवासी मौ. मकबरा, कस्बा, परगना व तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

2– जमीर अहमद पुत्र मौ. हसन, निवासी मौ. मकबरा, कस्बा, परगना व तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर। ..... निगरानीकर्तागण।

बनाम

1– तारिक खां पुत्र महबूब खां, निवासी मौ. मकबरा, कस्बा, परगना व तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर। ..... वादी/विपक्षी।

2– मौ. आसिफ पुत्र महबूब खां,

3– मौ. तालिब पुत्र महबूब खां,

4– तारा उर्फ आदिल पुत्र महबूब खां,

निवासीगण मौ. मकबरा, कस्बा, परगना व तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

..... प्रतिवादीगण/विपक्षीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत दीवानी निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय– सिविल जज, (जू0डि0)/एफ.टी.सी., कोर्ट संख्या–1, बिजनौर के मूल वाद संख्या– 571/2013, तारिक खॉ बनाम कमेटी कब्रिस्तान आदि में पारित आदेश दिनांकित 22.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का प्रार्थना पत्र ग–97 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाफ्ता दीवानी निरस्त किया गया है।

2– संक्षेप में निगरानी की उत्पत्ति का कथानक यह है कि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र ग–97 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाफ्ता दीवानी प्रस्तुत कर वादी का वाद वक्फ़ बोर्ड, 1995 की धारा–85 से बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गयी, जिस पर

वादी द्वारा आपत्ति ग 98 दाखिल कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत दिनांक 22.08. 2022 को प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग–97 को निरस्त किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा वर्तमान निगरानी विभिन्न आधारों पर प्रस्तुत करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनाकित 22.08.2022 को निरस्त किया जाकर मूल वाद संख्या–571/2013 तारिक खॉ बनाम कमेटी कब्रिस्तान खण्डित फरमाये जाने की याचना की गयी है।

3– निगरानीकर्तागण द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची ग–5 से सत्यप्रतिलिपि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.08.2022 कागज संख्या ग–6/1 ता ग–6/2, सत्यप्रतिलिपि फॉर्मल ऑर्डर उपरोक्त आदेश कागज संख्या ग 7/1 ता ग 7/2 एवं सूची दिनांकित 08.02.24 से छायाप्रति वादपत्र वाद संख्या–571/2013 दाखिल की गयी।

4– विपक्षीगण तामीला उपरांत उपस्थित आये परंतु उनके द्वारा कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

5– निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्णय से पूर्व बहस का अवसर दिया गया परंतु उनके द्वारा कोई बहस प्रस्तुत नहीं किया गया।

7– पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

8– निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति एवं विधि व्यवस्था **वक्फ़ बोर्ड, पश्चिम बंगाल बनाम अनिस फात्मा बेगम एवं अन्य 2011(29) एल.सी.डी. 60 सुप्रीम कोर्ट, राशिद वली बेग बनाम फरीद पिण्डारी एवं अन्य 2022(40) एल.सी.डी. 1 सुप्रीम कोर्ट, वैजीनाथ एवं अन्य बनाम अफसर बेगम एवं अन्य 2020(3) सी.सी.सी. 423 (एस.सी.) सुप्रीम कोर्ट, मौ. जोहिरूद्दीन मल्लिक एवं अन्य बनाम अकबर अली उर्फ एस.के. 2024(4) सी.सी.सी. 047 (कलकत्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय** एवं **वक्फ़ एक्ट, 1995 की धारा–85** का उल्लेख करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.08.2022 को अपास्त करते हुए मूल वाद संख्या 571/2013 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

9– मेरे द्वारा निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं निगरानी में वर्णित आधारों तथा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्तागण की तरफ से निगरानी में मूलतः यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित संपत्ति को कब्रिस्तान की संपत्ति न मानते हुए त्रुटि कारित किया है जबकि विवादग्रस्त संपत्ति

कब्रिस्तान की संपत्ति है और धारा–85 वक्फ अधिनियम, 1995 से व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाधित किया गया है। प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों में सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार बाधित होगा और इस संदर्भ में धारा–6, 7, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 48, 52, 54, 64, 67, 69, 73, 83 व 94 का उल्लेख किया है।

10– उल्लेखनीय है कि आदेश 7 नियम 11 जाफ्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय सिर्फ वादपत्र का अवलोकन करना है। वादी अथवा प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों पर विचार नहीं करना है। विधि व्यवस्था–**मुदित वर्मा बनाम रामकुमार एवं अन्य 2018 (8) ए0डी0जे0 52 इलाहाबाद** में माननीय न्यायालय ने कहा गया है कि आदेश 7 नियम 11 (घ) जो कि कानून से बाधित आधार है के अन्तर्गत विधायिका द्वारा निर्मित कानून एवं न्यायालयों द्वारा घोषित कानून दोनों आते हैं। विधि व्यवस्था–**रामबाबू बनाम राजबहादुर एवं अन्य 2020 (138) ए0एल0आर0 504 इलाहाबाद** में वर्णित है कि आदेश 7 नियम 11 जाफ्ता दीवानी के निस्तारण के समय पूरे वादपत्र को पढ़ना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था–**एम. गुरदास बनाम रसरंजन (2006) 8 एस.सी.सी. 367, राघवेन्द्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्न सिंह 2020 (140) 735 सुप्रीम कोर्ट, राघवेन्द्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्न सिंह (2020) 16 सुप्रीम कोर्ट केसेस 601, केसर बाई बनाम गेंदा लाल एवं एक अन्य (2022) 10 सुप्रीम कोर्ट केसेस 217, अजहर हुसैन बनाम राजीव गॉधी 1986 (सप्प) सुप्रीम कोर्ट केसेस 315, शांति देवी बनाम कुंदन लाल एवं अन्य 2020 (138) ए.एल.आर. 435, श्रीहरि हनुमान दास तोताला बनाम हेमन्त बिट्ठल कमल एवं अन्य सिविल अपील संख्या–4665/2021 निर्णय दिनांकित 09.08.2021 डब्लूडब्लूडब्लू.इंडियनकानून.आर्ग एवं सी0एस0 रामास्वामी बनाम वी0के0 सेंथिल एवं अन्य सिविल अपील संख्या–580/2022 निर्णय दिनांकित 30.09.2022 डब्लूडब्लूडब्लू.इंडियनकानून.आर्ग** में आदेश 7 नियम 11 जाफ्ता दीवानी पर माननीय न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख करते हुए उपरोक्त प्रावधान की विधिक स्थिति को स्पष्ट किया है कि आदेश 7 नियम 11 जाफ्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय सिर्फ वादपत्र पर विचार किया जाना है। प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था–**गुरूदेव सिंह बनाम हरविन्दर सिंह 2022 लाईव लॉ सुप्रीम कोर्ट 963** में अभिनिर्णित किया है कि–A plaint can not be rejected under order 7 rule 11 C.P.C. merely on the ground that the plaintiff is not entitled to any relief in the suit. अतः विधि का यह सुस्थपित सिद्धांत है कि आदेश 7 नियम 11 जाफ्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय सिर्फ वादपत्र पर विचार किया

जाना है। प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है।

11– विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में यह वर्णित किया है कि सिर्फ वादपत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है, जो कि उचित है लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्षित किया है कि उपरोक्त विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इस बात का निर्धारण, पक्षकारों का साक्ष्य लिये जाने के उपरांत ही संभव है एवं वादपत्र के तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है और उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया है जबकि विद्वान विचारण को वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन के उपरांत निष्कर्ष दिया जाना चाहिए था। वादपत्र के प्रस्तर 1 में विवादित संपत्ति में खेवट नं. 8 खसरा नं. 102 के जुज भाग जिसकी चौहद्दी पूरब रेलवे लाईन, पश्चिम सड़क(कोटद्वार रोड), उत्तर जायदाद मुमताज आदि एवं दक्षिण आराजी सरकारी खेवट नं. 8 व 9 खसरा नं. 102 बकब्जे अब्दुल वाजिद व यूनुस आदि है, का कोई वास्ता ताल्लुक कब्रिस्तान मौ. मुगलूशाह से होना नहीं कहा है। प्रस्तर 10 में एसेसमेंट रजिस्टर नगरपालिका में इंद्राज परिवर्तित कराने का उल्लेख है और प्रस्तर 12 में वर्णित है कि विवादित जायदाद से जानिब दक्षिण खेवट नं. 8 खसरा नं. 102 का जुज है, जो मिल्कियत सरकार है और प्रतिवादीगण 1 व 2 से हमसाज होकर वाद संख्या 604/2011 वाजिद हुसैन बनाम कब्रिस्तान दायर किया और विवादित आराजी को कब्रिस्तान की आराजी लिखा लिया। प्रस्तर 14अ में वर्णित है कि वादपत्र के अंत में वर्णित जायदाद को कब्रिस्तान की आराजी बताकर कब्रनुमा गड्डा खोदकर उसमें कब्रनुमा आकार दिया गया है और प्रस्तर 15 के अनुसार प्रश्नगत संपत्ति की बाहरी दीवार पर कब्रिस्तान आराजी वक्फ सं. 460 अंकित किया गया है। अनुतोष 17 अ में आदेशात्मक निषेधाज्ञा की याचना की गयी है और प्रतिवादीगण को यह निर्देशित करने का निवेदन किया गया है कि वे विवादित संपत्ति की बाहरी दीवार पर अंकित इबारत आराजी कब्रिस्तान वक्फ अल्लाताला मोहल्ला मुगलूशाह मौजा छापर नं. 460 जिला बिजनौर, नजीबाबाद तथा दुकानात कब्रिस्तान वक्फ अल्लाहताला नं. 460 मोहल्ला मुगलूशाह मौजा छापर नजीबाबाद को मिटाकर तथा कब्रनुमा गड्डे को हटाकर अंदर मियाद मुआइना अदालत बसूरत साबिक कर दे। बसूरत खिलाफ वरजी जरिये अदालत बशर्फे प्रतिवादीगण बूसरत साबिक कराया जावे। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों पर विचार नहीं किया है और यह वर्णित कर दिया है कि प्रश्नगत संपत्ति आराजी कब्रिस्तान नहीं है इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विधिसम्मत् नहीं है। निगरानी में वर्णित आधार स्वीकार किये जाने योग्य हैं और प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.08.2022 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण **कमैटी कब्रिस्तान एवं जमीन अहमद** द्वारा प्रस्तुत **सिविल निगरानी संख्या–127/2022 स्वीकार** किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.08.2022 **अपास्त** किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय में दिए गए निष्कर्ष के आलोक में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र ग–97 का पुनः निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–10.02.2025

(प्रकाश चन्द्र शुक्ला)
अपर जनपद न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम,
बिजनौर।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–10.02.2025

(प्रकाश चन्द्र शुक्ला)
अपर जनपद न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम,
बिजनौर।